

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/गुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकत्र 1 खंडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 64 दिनांक 06/05/2019

प्राधी @ लक्ष्मण अबतानी S/O श्री इश्वरदास @ श्रीमती कविता

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 21,608/-

जरिये रसीद संख्या 1005/1544

दिनांक 06/05/19 को जमा करा दी है। 1545

W/O श्री लक्ष्मण अबतानी

P.No 2 न. 3 चौपालनी

जोधपुर

पंजाब रोड

जोधपुर

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

नगर निगम, जोधपुर

जी+1

आवासीय